



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhapura, Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

Mine Code: 34RAJ26004

संख्या : राज/उदय/सीसाजस्ता-03/खंड-IV

दिनांक : 26.03.2019

प्रेषित : खान एजेण्ट

जावरमाला लेड-जिंक खदान

मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि.

पोस्ट-जावर,,जिला-उदयपुर-313901(राजस्थान)

ईमेल-hanuman.kalawat@vedanta.co.in

विषय : राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी जावरमाला लेड-जिंक खदान क्षेत्रफल 3620.00 हैक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

डॉ. ए. जेड खान, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.02.2019 को श्री राधा रमन, खान प्रबंधक एवं डॉ. संदीप राजपूत, हेड जियोलोजी के उपस्थिति में किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा						
11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 24.11.2016): - (i) <table border="1"><thead><tr><th>Year</th><th>Proposed UG Development(m)</th><th>Actual UG Development(m) (up to Jan 2019)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018-19</td><td>2500</td><td>1559</td></tr></tbody></table> <p>It shows that shortfall in UG development.</p>	Year	Proposed UG Development(m)	Actual UG Development(m) (up to Jan 2019)	2018-19	2500	1559
Year	Proposed UG Development(m)	Actual UG Development(m) (up to Jan 2019)					
2018-19	2500	1559					
Rule 19(1)	Log book of heavy earth moving machineries have not been maintained.						
Rule 31(4)	Plans & sections required to be kept under rule 32 have not been maintained up to date within three months.						

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

( डी. आर. गुर्जर )

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

**प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-**

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो